


वार्डन नियुक्ति "विज्ञापन"

समय शिक्षा अभियान, जिला देवास अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वार्डनपद हेतु अतिरिक्त प्रभार से छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार हेतु आवेदन-पत्र विज्ञापित प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस तक जिला शिक्षा केन्द्र देवास में आवेदन पत्र जमा किये जा सकते हैं। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

पद का नाम	नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता	मासिक परिलब्धियां
वार्डन पद केजीबीवी छात्रावास 1. डबल चौकी (देवास), 2. तोंकरपुर (खातेंगौव), बालिका छात्रावास 1. पानीगौव (कन्नौद), 2. कन्नौद 3. कामण्डखेडा (बागली), 4. करनावद (बागली),	<ul style="list-style-type: none"> ● चयनित विद्यालय की महिला शिक्षिका (सहा. शिक्षक, सहा. अध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक, अध्यापक) द्वारा कार्य करने की सहमति देने पर वार्डन के अतिरिक्त प्रभार हेतु उच्च श्रेणी शिक्षिका/अध्यापिका को प्राथमिकता दी जायेगी। ● चयनित विद्यालय में महिला शिक्षिका की अनुपलब्धता अथवा उपलब्ध शिक्षिका की कार्य से असहमति की स्थिति में अन्य विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं का चयन। ● सहायक वार्डन के छुट्टी, प्रशिक्षण एवं अन्य छात्रावास संबंधी कार्य से बाहर जाने की स्थिति में तथा सप्ताह में दो दिन-रात्रि छात्रावास में विश्राम करना अनिवार्य होगा। ● महिला शिक्षिका के बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक हो। ● वार्डन पद का प्रभार पदस्थ शाला में शिक्षिकीय कार्य के अतिरिक्त है। 	कुल मासिक परिलब्धियां वेतन+2000 रुपये प्रतिमाह

वार्डन की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र.राशिके/एस.जी.यू/2017/90 भोपाल दिनांक 03/01/2015 एवं पत्र क्र.5881 दिनांक 11.08.2017 का अवलोकन राज्य शिक्षा केन्द्र के पोर्टल Educationportal.mp.gov.in पर किया जा सकता है।


 जिला परियोजना समन्वयक
 जिला शिक्षा केन्द्र देवास